FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0013 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 19/04/2022 14:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	166
3	IPC 1860	167
4	IPC 1860	201
5	IPC 1860	218
6	IPC 1860	409
7	IPC 1860	420
8	IPC 1860	467
9	IPC 1860	468
10	IPC 1860	471
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
12	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
13	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d
14	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/04/2022 **Time (समय):** 13:48 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 19/04/2022 13:48 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 7 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): MCF FBD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** DSP KAILASH CHAND

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 07/03/1979 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SVB FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SVB FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9971079337

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	Tasleem clerk Account Branch			1. MCF FBD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	Deepakthapar joint director			1. MCF FBD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
3	Deepak Kumar JE			1. MCF FBD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
4	RAMAN SHARMA XEN			1. MCF FBD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
5	DolatRamBhashkardr ChiefEnginee			1. MCF FBD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
6	Pankaj clerk Account Branch			1. MCF FBD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
7	Pardeep clerk Account Branch			1. MCF FBD,FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

प्रबन्धक अफसर,

थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,

फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक नं0 02 दिनांक 10.02.2021 फरीदाबाद मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/45/2020-5 चैकसी(II) दिनांक 05.02.2021 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला

कार्यालय मे दर्ज रजिस्ट्रर होकर उनके कार्यालय के पृष्ठाकन 2423/1-2/SVB(H)Dated 10.02.2021 के अनुसार शिकायतकर्ता दीपक चैधरी पार्षद वार्ड 37, फरीदाबाद की शिकायत पर दर्ज रजिस्ट्रर होकर पडताल हेतु इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी तथा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/45/2020-5 चैकसी(II) दिनांक 04.05.2021 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय के पृष्ठाकन 7021/1-2/SVB (H) Dt 07.05.2021 के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, पंचकुला की रिपोर्ट को उपरोक्त जांच मे सम्मलित करने के आदेश प्राप्त हुऐ थे। जिनमे नगर निगम फरीदाबाद के अकाउंटस व इंजिनियरिंग विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो के विरूद्ध आरोप न0 1 से 4 में आरोप था कि:- आरोप न0 1 मे नगर निगम फरीदाबाद में वार्ड नं0 34,35,36,37,38,39 व 40 की विभिन्न गलियों में इंटरलाक टाईल लगाने के कार्य के लिये मै0 सातवी टैडर्स प्राईवेट लिमिटैड, मै0 सातवी प्रीकास्ट प्राइवेट लिमिटैड, मै0 सतबीरा कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड, मै0 सातवी कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड को एक समान रूप्ये 4,50,492/- रूपये का भुगतान प्रत्येक वार्ड के लिये इन चारो एजेन्सियो को किया गया अर्थात सात वार्डो में चार एंजेसिया कुल मिलाकर 28 भुगतान एक समान 4,50,492/-रूपये का किया गया। दूसरे शब्दो में इन चारो एजेंसियो को एक ही प्रकार के कार्य का एक समान भुगतान 1,26,13,776/- रूपये का किया गया। जबकि इनमे से कोई कार्य मौके पर नही किया गया है। यह सम्भव ही नही है कि सभी वार्डो मे सभी गलिया बराबर पैमाईस की हो और उनमे एक समान भुगतान हो सके। इस मामले मे एक दो नही बल्कि 28 भुगतान एक समान है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। आरोप न0 2 मे नगर निगम फरीदाबाद में वार्ड नं0 34,35,36,37,38,39 व 40 मे स्टोन मैटल की सप्लाई के लिये मै0 सातवी टैडर्स प्राईवेट लिमिटैड, मै0 सातवी प्रीकास्ट प्राइवेट लिमिटैड, मै0 सतबीरा कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड, मै0 सातवी कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड को एक समान रूप्ये 4,40,400/- रुपये का भुगतान प्रत्येक वार्ड के लिये इन चारो एजेन्सियो को किया गया अर्थात सात वार्डो में चार एंजेसिया कुल मिलाकर 28 भुगतान एक समान 4,40,400/- रुपये का किया गया। दूसरे शब्दो में इन चारो एजेंसियो को एक ही प्रकार के कार्य का एक समान भुगतान कुल 1,23,31,200/- रुपये का किया गया। जबकि मौक पर कोई स्टोन मैटल सप्लाई ही नही किया गया है। यह सम्भव ही नही है कि सभी वार्डो मे समान स्टोन मैटल की आवश्यकता एक साथ पडे और उनमे एक समान भुगतान हो सके। इस मामले मे एक दो नही बल्कि 28 भुगतान एक समान है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। आरोप न0 3 मे नगर निगम फरीदाबाद में वार्ड नं0 34,35,36,37,38,39 व 40 की विभिन्न गलियो मे पुलिया बनाने के कार्य के लिये मै0 सातवी टैडर्स प्राईवेट लिमिटैड, मै0 सातवी प्रीकास्ट प्राइवेट लिमिटैड, मै0 सतबीरा कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड, मै0 सातवी कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड को एक समान रूप्ये 4,35,170/- रुपये का भुगतान प्रत्येक वार्ड के लिये इन चारो एजेन्सियो को किया गया अर्थात सात वार्डो में चार एंजेसिया कुल मिलाकर 28 भुगतान एक समान 4,35,170/- रुपये का किया गया। दूसरे शब्दो में इन चारो एजेंसियो को एक ही प्रकार के कार्य का एक समान भुगतान 1,21,84,760/- रुपये का किया गया। जबकि इनमे से कोई कार्य मौके पर नही किया गया है। यह सम्भव ही नही है कि सभी वार्डो मे सभी पुलियाओ की बराबर पैमाईस हो और उनमे एक समान भुगतान हो सके। इस मामले मे एक दो नही बल्कि 28 भुगतान एक समान है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। आरोप न0 4 मे नगर निगम फरीदाबाद में वार्ड नं0 34,35,36,37,38,39 व 40 की विभिन्न गलियो मे नालियो की मरम्मत के कार्य के लिये मै0 सातवी टैडर्स प्राईवेट लिमिटैड , मै0 सातवी प्रीकास्ट प्राइवेट लिमिटैड, मै0 सतबीरा कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड, मै0 सातवी कंस्टैक्सन प्राईवेट लिमिटैड को एक समान 4,31,500/- रुपये का भुगतान प्रत्येक वार्ड के लिये इन चारो एजेन्सियो को किया गया अर्थात सात वार्डे में चार एंजेसिया कुल मिलाकर 28 भुगतान एक समान 4,31,500/- रुपये का किया गया। दूसरे शब्दो में इन चारो एजेंसियो को एक ही प्रकार के कार्य का एक समान भुगतान 1,20,82,000/- रुपये का किया गया। जबकि इनमे से कोई कार्य मौके पर नही किया गया है। यह सम्भव ही नही है कि इन सभी वार्डो मे नालियो की एक समान मरम्मत हो और उनमे एक समान भुगतान हो सके। इस मामले मे एक दो नही बल्कि 28 भुगतान एक समान है जो कि पूरी तरह से फर्जी है।

पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि नगर निगम फरीदाबाद में वार्ड नं0 34,35,36,37,38,39 व 40 की विभिन्न गलियो मे इंजीनियरिंग शांखा, नगर निगम फरीदाबाद के कर्मचारियो/अधिकारियो ने सतबीर सिंह ठेकेदार व उसकी फर्मो से मिलीभगत करके आरोप न0 1 मे इंटरलाकिंग टाईलो से सम्बन्धित 28 भुगतान एक समान 4,50,492/- रूपये प्रति कार्य कुल 1,26,13,776/- रुपये नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाना पाया गया है। आरोप न0 2 मे स्टोन मैटल से सम्बन्धित 28 भुगतान एक समान 4,40,400/- रूपये प्रति कार्य कुल 1,23,31,200/- रुपये नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाना पाया गया है। आरोप

न0 3 मे पुलिया बनाने से सम्बन्धित 28 भुगतान एक समान 4,35,170/- रूपये प्रति कार्य कुल 1,21,84,760/- रुपये नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाना पाया गया है। आरोप न0 4 मे नालियो की मरम्मत से सम्बन्धित 28 भुगतान एक समान 4,31,500/- रूपये प्रति कार्य कुल 1,20,82,000/- रुपये नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाना पाया गया है।

जांच की पडताल के दौरान यह भी पाया गया कि सतबीर सिंह ठेकेदार एवं उसकी फर्मो द्वारा किये गये 28 कार्य की एक समान कोटेशन ली गई, बडे कार्यो को छोटे-छोटे कार्यो मे विभाजित किया गया, जो PWD CODE के नियमो की उल्लंघना है, ना किसी प्रकार का कोई एस्टीमेट तैयार किया गया, ना किसी प्रकार का कोई टैण्डर दिया गया, ना ही कोई कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिया गया, एक समान 28 बिल बनाये गये और नगर निगम द्वारा एक समान 28 भुगतान एक ही दिन दिनांक 09.04.2018 को किये गये। कार्यो से सम्बन्धित जो लेखा-जोखा मेजरमैन्ट बुक मे होता है वह मेजरमैन्ट बुक भी नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियो एवं कर्मचारियो द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। WMS SOFTWARE पर इन्द्राज का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया है। सतबीर सिंह ठेकेदार की सभी फर्मो का एक ही । Address पाया गया और जो कोटेशन प्राप्त की गई वो भिन्न-भिन्न शहरो की एक ही दिन प्राप्त की गई। सतबीर सिंह ठेकेदार एवं नगर निगम के अधिकारियो एवं कर्मचारियो की मिलीभगत से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त सतबीर सिंह ठेकेदार एवं नगर निगम के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त कार्यो का भौतिक निरीक्षण कराने मे पूर्णतया विफल रहे है।

सतबीर सिंह ठेकेदार और उसकी पांच फर्म (मैसर्ज सतबीर सिंह कान्टैक्टर, मैसर्ज सतबीर कन्सटैक्शन, मैसर्ज सातवी कन्सटैशन, मैसर्ज सातवी प्रीकास्ट, मैसर्ज सातवी टैडरस), शेर सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता, दीपक कुमार तत्कालीन सहायक कनिष्ठ अभियन्ता, रमन शर्मा कार्यकारी अभियन्ता, दौलतराम भास्कर (डी0आर0 भास्कर) मुख्य अभियन्ता, पंकज कुमार लिपिक, प्रदीप लिपिक, तस्लीम लिपिक अकाउंट ब्रान्च नगर निगम फरीदाबाद, दीपक थापर तत्कालीन संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण (आडिट) के विरुद्व धारा 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120बी0, 201 भा0द0स0 व 7, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था और इसके अलावा नगर निगम फरीदाबाद के अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्पता पाई जाती है तो उसे अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 52/45/2020-2VII दिनांक 06.04.2022, महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठाकन क्रमांक 5603/आई-2/एस0वी0बी0 (ह0) दिनांक 07.04.2022 व 6105/आई0-2/रा0चै0ब्यू0(ह0) दिनांक 15.04.2022 के अनुसार जांच रिपोर्ट में आरोप नं0 1 से 4 में दिये गये सुझाव अनुसार उपरोक्त आरोपियान के विरूद्व 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120बी0, 201 भा0द0स0 व 7, 13(1)(C) 13(1)(D) r/w 13(2) भ्रष्ठाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने व तफतीश के दौरान नगर निगम फरीदाबाद के अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्पता पाई जाती है तो उसे अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने बारे आदेश प्राप्त हुये है।

आरोप न0 1 से 4 के अनुसार सतबीर सिंह ठेकेदार और उसकी पांच फर्म (मैसर्ज सतबीर सिंह कान्टैक्टर, मैसर्ज सतबीर कन्सटैक्षन, मैसर्ज सातवी कन्सटैक्षन, मैसर्ज सातवी प्रीकास्ट, मैसर्ज सातवी टैडरस), शेर सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता, दीपक कुमार तत्कालीन सहायक कनिष्ठ अभियन्ता, रमन शर्मा कार्यकारी अभियन्ता, दौलतराम भास्कर (डी0आर0 भास्कर) मुख्य अभियन्ता, पंकज कुमार लिपिक, प्रदीप लिपिक, तस्लीम लिपिक अकाउंट ब्रान्च नगर निगम फरीदाबाद, दीपक थापर तत्कालीन संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण (आडिट) के विरुद्व उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अकिंत किया जावे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जावे। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EASI बिरेन्द्र न0 1823/फरी0 के अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे। स्पेशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। मुकदमा हजा की आगामी तफतीश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद के आदेशानुसार श्री रामास्वामी प्रार्थासारथी उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो मण्डल फरीदाबाद की सेवा में भिजवाई जावे। आमदा रिकार्ड साथ सलंग्न है। SD. (कैलाश चन्द ह0पु0से0),उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। दिनांक 19.04.2022 At. 1.00 PM थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 13 दिनांक 19.04.20222 धारा 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120बी0, 201 भा0द0स0 व 7, 13(1)(C) 13(1)(D) r/w 13(2) भ्रष्ठाचार निवारण अधिनियम 1988 दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां कम्प्युटर द्वारा तैयार की गई ।

जो मुकदमा हजा स्पैशल रिपोर्ट श्रेणी मे आने पर स्पैशल रिपोर्ट EASI विरेन्द्र सिह न0 1823/फरी0 के अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रैट साहब की सेवा मे भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल रिकार्ड बराये आगामी अनुसंधान हेतु श्री रामास्वामी प्रार्थासारथी उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद के हवाले की जाएगी । नोट- यह FIR बिजेन्द्र सिह कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद की हाजरी मे दर्ज रजि0 किया गया । वा CCTNS में श्री रामास्वामी प्रार्थसारथी उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद कि ID न होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक कैलाशन्च कि आई डी में मुकदमा दर्ज किया गया है । वा मुकदमा हजा का I/O श्री रामास्वामी प्रार्थसारथी उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Kailash chand **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): INSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.